स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रेस नोट सं0 281, दिनांक–07–11–2020

मोबाइल कम्पनियों का फर्जी Customer Care अधिकारी बनकर लकी ड्रा का प्रलोभन देकर ठगी करने वाले को एस0टी0एफ0 द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनांकः 06–11–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को मोबाइल कम्पनियों का फर्जी कस्टमर केयर अधिकरी बन कर लकी ड्रा में मोबाइल नम्बर के आने का प्रलोभन देकर ठगी करने वाले अभियुक्त सोनू सिंह को गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

सोनू सिंह पुत्र स्व0 पृथ्वी सिंह नि0 मंगोलपुर, थाना गजनेर जनपद, कानपुद देहात।

बरामदगी–

1. एक अदद ए0टी0एम0
2. एक अदद सिमकार्ड
3. दो अदद मोबाइल फोन
4. रू0 850/– नगद
5. केनरा बैंक के पासबुक की छायाप्रति
6. एक अदद आधार कार्ड की छाया प्रति

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दादूपुर थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर, दिनांकः 06–11–2020 समय 17:40

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से विभिन्न मोबाइल कम्पनियों का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लकी ड्रा का प्रलोभन देकर विभिन्न खातों में रूपये जमा कराकर, आनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि वोडाफोन व प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे ठगी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह के सदस्यों ने कई लोगों के साथ धोखा–धड़ी की है। इस सम्बन्ध में जनपद सुल्तानुपर पर मु0अ0सं0 327/2020 धारा 419/420/66 डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत है तथा इस अभियोग का मुख्य अभियुक्त ग्राम दादूपरु थाना धम्मौर में किसी से मिलने आने वाला है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है।

मुखबिर से प्राप्त इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में कान्स0 राघवेन्द्र तिवारी, कान्स0 शैलेन्द्र उपाध्याय, कान्स0 सूरज कुमार, का0 सुधीर की एक टीम गठित कर मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुँच कर मुखबिर की निशादेही पर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू सिंह ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने मोबाइल फोन से एअरटेल, वोडाफोन, प्रधानमंत्री आवास आवंटन योजना से सम्बन्धित फर्जी अधिकारी बन भोले–भाले जनता के लोगों इनाम का प्रलोभन देकर थोड़े–थोड़े पैस विभिन्न खातों मे जमा करवा कर उनसे धोखा–धड़ी करता था। इस काम में उसके साथ रोहित पुत्र सुभाष नि0 3/210, बर्रा–8, कानपुर नगर, रवि नि0 नहलीगांत, झींझक, कानपुर देहात प सुलेन पुत्र लुम्बी नि0 मंगोलपुर थाना गजनेर, कानपुर देहात शामिल थे। इन लोगों का एक संगठित गिरोह है, जिसके द्वारा सीधे–साधे व्यक्तियों को पहचान कर ठगी का यह कार्य किया जाता था।

पूछताछ में प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तार के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानुपर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 327/2020 धारा 419/420/66 डी आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।